

उ-७२५

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण
में वकील वादी साक्ष्य वादी हेतु वादी जाह पेश
करने का अवसर चाहते हैं। पूर्व में इन्हें दि. ५.१२.१९
में अवसर दिये जा रहे हैं। एवं पूर्व में १०० रु कोष
पर अनिम अवसर दिया गया था। उसके बाद भी
२०० रु कोष पर अनिम अवसर दिया गया इसके
बाद भी साक्ष्य वादी पेश नहीं कि गई अतः साक्ष्य
वादी पेश करने का अवसर बन्द किया जाता है।
प्रकरण में जब साक्ष्य वादी बन्द कि जा चुकी है।
ऐसी स्थिति में प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श
नहीं हो सकेंगे जब प्रकरण में दस्तावेज रिकार्ड पर
नहीं आ सकेंगे तो दावा दस्तावेज के अभाव में सिद्ध
नहीं हो सकेंगा अतः वादवादी का दावा साक्ष्य के
अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फॉसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

५५